

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु आदेश)

पत्रांक 850 / वाद सं० आर-1241/एस-7/2024

दिनांक 26 मई, 2025

श्री रमेश गोयल,
बगराल गाँव निकट पेस्टल वीड स्कूल,
मसूरी रोड, देहरादून।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर लगभग 20 गुणा 40 फिट क्षेत्रफल में कोई भी मानचित्र स्वीकृति कराये बिना निर्माण कार्य किया जा रहा है। अनाधिकृत निर्माण कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र०) नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 27 (1) व 28(1) के अन्तर्गत कारण बताओं तथा कार्य रोके जाने की कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद संख्या आर-1241/एस-7/2024 योजित किया गया है। वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 10.12.2024, 28.1.2025, 18.2.2025, 25.2.2025, 18.3.2025, 08.4.2025, 22.4.2025 की तिथियाँ नियत की गयी, जिसमें आप उपस्थित/अनुपस्थित रहें। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 4026, दिनांक 21.1.2025, के द्वारा आपको अनाधिकृत निर्माण को सील करने हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था। आप द्वारा उक्त किये गये निर्माण का शमन मानचित्र संख्या ओ०सी०-0342/24-25 ऑनलाईन जमा कराया गया था जोकि सूचित आपत्तियों का निराकरण न किये जाने के कारण दिनांक 17.05.2025 को निरस्त कर दिया गया था। उक्त के क्रम में क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा दिनांक 14.05.2025 को दी गई आख्या में उल्लेख किया गया है कि चालानी कार्यवाही के अनुसार विपक्षी द्वारा जो दो मंजिला निर्माण देखा जा रहा है वह वैडिंग प्लाईट (बारात घर) के पश्च भाग में निर्मित हो रहा है तथा विपक्षी द्वारा पूर्व में मानचित्र स्वीकृति हेतु जमा किया गया था वह वैडिंग प्लाईन्ट का था। विपक्षी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 22.04.2025 के साथ पुनः जो शमन मानचित्र संख्या ओ०आर-1292/24-25 प्रस्तुत किया गया है वह आवासीय भवन का है जिसका अन्य वाद संख्या आर-0315/एस-7/2022 प्राधिकरण की सुनवाई में विचाराधीन है। विपक्षी द्वारा दो अलग-अलग निर्माणों में एक ही शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है, जोकि दोनों निर्माण अलग-अलग स्थानों पर है। उक्त के अतिरिक्त विपक्षी द्वारा आतिथि तक अन्य कोई नया शमन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा चालानशुदा निर्माण के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। आप द्वारा वर्णित वाद के समाधान में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। विपक्षी वाद को जानबूझ कर लम्बित रखना चाहता है जो कि न्याय के विरुद्ध है। प्रकरण में सील कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। अतः प्रकरण में चालानशुदा अवैध निर्माण के सीलिंग के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत है।

-आदेश-

विपक्षी श्री रमेश गोयल, बगराल गाँव निकट पेस्टल वीड स्कूल, मसूरी रोड, देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर लगभग 20 गुणा 40 फिट क्षेत्रफल में कोई भी मानचित्र स्वीकृति कराये बिना निर्माण कार्य किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माण कार्य को सील किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उक्त किये गये अनाधिकृत निर्माण को दिनांक.. 30.05.25 को सील किया जाना है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत तिथि को स्थल पर संवय उपस्थित रहकर अपना आवश्यक सामान हटा लें। अन्यथा कि स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी विपक्षी की संवय की होगी। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दे, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्यों में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के समान है, जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो।

अमर

अधिशाली अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।